धारा 64 : कतिपय विशेष मामलों में संक्षिप्त निर्धारण

(1) समुचित अधिकारी उसकी जानकारी में किसी व्यक्ति के कर दायित्व को उपदर्शित करने वाले साक्ष्य के आने पर, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त की पूर्व अनुज्ञा से राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए ऐसे व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा और निर्धारण आदेश जारी करेगा यदि उसके पास यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार हों कि ऐसा करने में कोई विलम्ब करने से राजस्व के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है :

परन्तु जहां कराधेय व्यक्ति, जिससे दायित्व संबंधित है, का निर्धारण नहीं किया जा सकता है और ऐसा दायित्व मालों की पूर्ति के संबंध में है तो ऐसे माल के प्रभारी व्यक्ति को निर्धारण के लिए दायी कराधेय व्यक्ति समझा जाएगा और वह कर का और इस धारा के अधीन शोध्य किसी अन्य रकम का संदाय करने का दायी होगा।

(2) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर कराधेय व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वप्रेरणा से यह विचार करता है कि ऐसा आदेश त्रुटिपूर्ण है तो वह ऐसे आदेश का प्रतिसंहरण कर सकेगा और धारा 73 और धारा 74 [1][या धारा 74क] में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

उपयुक्त नियमः नियम 100

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी एएसएमटी–16, जीएसटी एएसएमटी–17, जीएसटी एएसएमटी–18

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।